

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

न्यायालय सीकर
 नाम परायण बनाम पत्नी
 किस्म मुकदमा दण्ड मु. नं. ५५ वर्ष १९

दिनांक ५/५/२०२२ आज्ञा-पत्र

५/५/२०२२

पत्नी परा हरी वकील वादी व
 वादी स्वयं सामग्री तक बार-बार
 आवाज लगावने के बावजूद धरिरे नहीं।
 अतः पत्नी को डफ्तार धरिरे व
 डफ्तार परी के खारिफ डिप्ट पत्नी
 पत्नी केवल शमार डफ्तर नम्बर के
 उक्त के धरिरे पत्र धरिरे।
 धरिरे